

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश

96, महात्मा गाँधी मार्ग,
लखनऊ।

पत्रांक 657 कैम्प-प्र.प्र.विभागाध्यक्ष/01 लखनऊ/17

दिनांक 05/04/17

कार्यालय-आदेश

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सभी प्रकार के निर्माण कार्यों की निविदाएं ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्राप्त की जानी है। लोक निर्माण विभाग में पूर्व से ही यह व्यवस्था लागू थी। इस सम्बन्ध में पुनः स्पष्ट करना है कि समस्त प्रकार के निर्माण कार्यों हेतु शत-प्रतिशत निविदाएं ई-टेंडरिंग के माध्यम से ही प्राप्त की जायें। प्रदेश सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि विभिन्न प्रकार की सामग्री आपूर्ति के लिए भारत सरकार के ईजेम पोर्टल का प्रयोग किया जाना है। इसके लिए समस्त खण्डों को अपना-अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर जिन सामग्रियों का विवरण है, उनकी आपूर्ति इसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जानी है।

८०/-

(वी० के० सिंह)
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) / (परिकल्प एवं नियोजन), लो०नि०वि०, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, उ०प्र०।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, उ०प्र० (ईमेल द्वारा)।

१७/०४/१७
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष